





केंद्रीय कर के प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CENTRAL TAX हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय HYDERABAD GST COMMISSIONERATE जीएसटी भवन, एल बी स्टेडियम रोड, बशीर बाग, हैदराबाद-500 004 GST BHAVAN, L B STADIUM ROAD, BASHEER BAGH, HYDERABAD-500004

C.No.II/3/13/2016-Estt.

Date: 19-01-2018

स्थापना आदेश ESTABLISHMENT ORDER (G.O.) NO. 01/2018

विषय: स्था - केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक संवर्ग में पदोन्नति की अनुमानित तारीख वरिष्ठता का निर्धारण - संबन्धित

Sub:- Estt. - Deemed date of Promotion to the Cadre of Superintendent of Central Excise - Fixation of Seniority - Reg.

* * * *

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 22011/4/91 Estt(A) दिनांक 14-09-1992 के अनुसार, निम्नलिखित अधिकारी को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, वर्ग "ख" (राजपत्रित) के अधीक्षक के संवर्ग में दिनांक 23-09-2002 (अनुमानित तारीख), से पदोन्नत माना जाता है।

With the approval of the competent authority and in terms of DOP&T O.M.No 22011/4/91 Estt(A) dated 14-09-1992, following officers deemed to have been promoted to the cadre of Superintendent of Central Excise, Group 'B' (Gazetted) with effect from 23-09-2002(Deemed Date):

क्रं.स SI.No	अधिकारी का नाम सर्व श्री/श्री Name of the Officer S/Shri	वर्तमान में कार्य स्थान Present place of working
1	एस सुंदर राजू	तिरुपति
	S.Sundar Raju	Tirupati
2	एम.मुनिकृष्णय्य	सेकींदरबाद
	M.Munikrishnaiah	Secunderabad

2. उपरोक्त अधिकारियों को किल्पत पदोन्नित के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक संवर्ग से अधीक्षक संवर्ग में पदोन्नित के संबंध में, उनकी वरिष्ठता 29 और 30 जुलाई, 2002 को पदोन्नित के संबंध में आयोजित डीपीसी द्वारा चुनी गई पैनल के अनुसार होगी।

Consequent to the grant of notional promotion to the above mentioned officers, their seniority shall be placed as per the panel drawn by the DPC held on 29th & 30th July, 2002 in connection with promotion of Inspector of Central Excise to the grade of Superintendent of Central Excise.

2. उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि वे FR-22(a)(i) के अंतर्गत वेतन निर्धारण के िए कार्यभार ग्रहण की तारीख से एक महीने में विकल्प चुन सकती हैं।

They are also informed that, they may exercise option within one month from the date of assumption of charge for fixation of pay under FR-22(a)(i).

(वी॰आर॰एलिजा V.R.ELIZA) अपर आयुक्त (क व सत) Additional Commissioner (P&V)

प्रति To

संबन्धित व्यक्ति को The Individuals (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से Through the officer concerned)

प्रतिलिपि Copy to:

- 1. मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क & केन्द्रीय कर, हैदराबाद/विसखपद्दनम क्षेत्र। The Chief Commissioner, Customs & Central Tax, Hyderabad/Visakhapatnam zone.
- 2. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर, हैदराबाद आयुक्तालय, हैदराबाद/तिरुपति The Principal Commissioner, Central Tax, Hyderabad Commissionerate, Hyderabad.
- 3. आयुक्त, केन्द्रीय कर, सेकींडेराबाद/तिरुपित आयुक्तालय, हैदराबाद/तिरुपित The Commissioner, Central Tax, Secunderabad/Tirupati Commissionerate, Hyderabad/Tirupati.
- 4. मु॰ले॰अ॰,/वे॰ले॰अ॰, केन्द्रीय कर, सेकींडेराबाद/तिरुपित आयुक्तालय, हैदराबाद/तिरुपित The CAO/PAO, Central Tax, Secunderabad/Tirupati Commissionerate, Hyderabad/Tirupati.
- 5. महा सचिव, वर्ग "ख" राजपत्रित (कार्यकारी) अधिकारी संगठन, हैदराबाद/विसखपद्दनम क्षेत्र। The General Secretary, Customs, Central Excise & Service Tax, Group'B' Gazetted (Executive) officer's Association, Hyderabad/Visakhapatnam zone.

6.महा सचिव, अ जा/ अ ज जा कल्याण संगठन, सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, हैदराबाद/विसखपट्टनम क्षेत्र।

The General Secretary, Customs, Central Excise & Service Tax, SC/ST Employees Welfare Association, Hyderabad/Visakhapatnam zone.

7. स्टॉक फ़ाइल/ नोटिस बोर्ड Notice Board/Stock File.

(वी॰आर॰एलिजा V.R.ELIZA) अपर आयुक्त (क व सत)

Additional Commissioner (P&V)